<u>न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा</u>

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

<u>प्रकरण संख्या : 19 / 2015 **FSSA**</u>

1. सरकार जरिये तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।

— आवेदक—

<u>बनाम</u>

1. श्री रवि गुप्ता पुत्र श्री रामुवतार गुप्ता निवासी सुरेश नगर, बस स्टैण्ड के सामने दौसा
   विक्रेता मैसर्सः—रवि प्रोविजन स्टोर, गांधी तिराहा, रोडवेज बस स्टैण्ड दौसा।
2. श्री सुरेश चन्द गुप्ता पुत्र श्री माधोलाल गुप्ता निवासी ए—49, अग्रसेन नगर दौसा
   विक्रेता मैसर्सः—रमेश चन्द, सुरेश चन्द एण्ड कम्पनी, नई मण्डी रोड दौसा।
3. श्री अविनाश हेगडे नोमिनी मैसर्सः— बुंगे इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड एनएच—12, पी.ओ. रामगंज बालाजी, जिला बूंदी।
4. मैसर्स बुंगे इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, एनएच—12, पी.ओ. रामगंज बालाजी जिला बूंदी।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गतएफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव अनुपस्थित ।
: श्री सोमेश्वर प्रकाश गर्ग, अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 व 2 उपस्थित।
: श्री सुरेश गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 3 व 4 उपस्थित।

<u>—: आदेश :—</u> दिनांकः—16.07.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव ने दिनांक08.10.2014 को दोपहर बाद 04:30 बजे मैसर्स रवि प्रोविजन स्टोर, गांधी तिराहा, रोडवेज बस स्टैण्ड दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री रवि गुप्ता पुत्र श्री रामुवतार उपस्थित मिला। विक्रेताने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया। जिसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स नहीं होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेताकी दुकान में एक गत्ते के कार्टून में मूल सील्ड कम्पनी पैक 30 बोतल 500 एमएल पैकिंग में पैक रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (चम्बल फ्रेश) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें मिलावट का शक होने पर इनमें से 4 मूल पैट बोतल **X** 50 एमएलरिफाईण्ड सोयाबीन तेल (चम्बल फ्रेश) नमूने की जांच हेतु खरीदा। जिसकी कीमत 180 रूपये विक्रेता को नकद देकर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता से बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ.(विक्रेता) के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (चम्बल फ्रेश) की मूल बोतलों पर चिपकाकर बोतलों को अलग—अलग खाकी कागज में लपेटकर बोतलों पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर **AG**—930 उपर से नीचे पूरे राउण्ड [illegible] बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार—चार जगह से चपडी [illegible] कर बोतलों पर एफ.बी.ओ.(विक्रेता) के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड बोतलों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की [illegible] प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ.(विक्रेता) को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे एफ.बी.ओ.(विक्रेता) व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.09.06 13:02:24 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं. 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं. 6 की दो प्रतियां अलग से एकलिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 09.10.2014 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक राज. जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 10.10.2014 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाये। नमूने का चतुर्थ सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 11.10.2014 को डी.ओ. व सीएमएचओ को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (चम्बल फ्रेश) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1593/एक्ट/ 2014/1152 दिनांक 21.10.2014 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना मिसब्राण्ड **(Misbrand)** स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना मिसब्राण्ड **(Misbrand)** स्तर का पाये जाने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सोमेश्वर प्रकाश गर्ग उपस्थित आये एवं जवाब तथा लिखित बहस प्रस्तुत की गई ।अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश गुर्जर उपस्थित आये एवं जवाब तथा लिखित बहस प्रस्तुत की गई ।तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी बहस के दौरान अनुपस्थित रहे। उपस्थित अधिवक्तागण अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अंकितानुसार खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1593/एक्ट/ 2014/1152 दिनांक 21.10.2014 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (चम्बल फ्रेश) के लेबल परशब्द **''Zero Cholesterol''**अंकित किया गया है। लेबल पर अंकित किया गया शब्द **''Zero Cholesterol''**उत्पाद की गुणवत्ता की अतिशयोक्ति है। नमूने के लेबल पर **Word''Zero Cholesterol''**अंकित होने के कारण यह नमूना **FSS(Packaging and Labelling) Regulation 2011**के विनियम **2.4.2(1)**का उल्लंघन होने सेमिसब्राण्ड **(Misbrand)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड स्तर के खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (चम्बल फ्रेश) का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 (2)**II**) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 52 एफएसएसए 2006 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 व 2 द्वारा बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र एवं लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि माननीय उच्च्तम न्यायालय द्वारा **Rallis India Ltd. Vs Poduru vidya Bhusan & other**में दिनांक 13.04.2011 को माननीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के लागू होने के दिनांक 5.8.2011 से पूर्व ही यह आदेश पारित किये गये कि एक समान स्थितियों में पैरा मैटेरिया होने के कारण किसी एक केस में पारित आदेश सभी अधिनियमों में प्रभावी/लागु होते है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विपक्षी संख्या 1 रवि गुप्ता से चम्बल फ्रेश सोयाबीन तेल जो नमूने की जांच हे[illegible] है। उक्त रवि गुप्ता ने उक्त सोयाबीन तेल पैक्ड स्थिति में विपक्षी संख्या 2 [illegible] क्रय किया था जो विपक्षी संख्या 2 ने विपक्षी संख्या 3 व 4 की कम्पनी मैसर्स [illegible] लिमिटेड, एनएच–12, पी.ओ. रामगंज बालाजी जिला बूंदी से सील पैक क्रय किया था। विपक्षीगण संख्या 3 व 4 उक्त सोयाबीन तेल के निर्माता व पैकर है। विपक्षीगण संख्या 2 द्वारा पै[illegible]ील जिस अवस्था में खरीदा गया था उसी अवस्था में विपक्षी संख्या 1 को बेचा था एवं विपक्षी संख्या 1 ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को नमूना हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.09.06 13:32:24 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बेचा था। ब्राण्डिंग के लेबल का दायित्व निर्माता कम्पनी का होता है। धारा 27 **FSS** के तहत स्पष्ट प्रावधान है कि दायित्व उसके सही या गलत होने का निर्माता कम्पनी का ही होता है। इसी प्रकार इस अधिनियम की धारा 27 व 80(2)(डी) में भी विक्रेता को जिम्मेदार नहीं माना है। यदि उसने जिस स्थिति में माल खरीदा है उसी पैक स्थिति में उसका विक्रय किया हो इस बिन्दु पर विभिन्न माननीय न्यायालयों के निर्णय की नजीरों में यह निष्पादित किया गया है कि यदि पैक्ड माल वारन्टी द्वारा क्रय किया गया है तो सही गलत का दायित्व उत्पादक कम्पनी का है, डीलर या वैण्डर का नहीं है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 42 व 36 के तहत कोई भी परिवाद बिना अभियोजन स्वीकृति के प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यदि अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय है तो उसमें अभियोजन स्वीकृति देने का अधिकार अभिहित अधिकारी(पदेन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) को है। उक्त प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति सहीं नहीं दी गई है, क्योंकि अभियोजन स्वीकृति खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 51 में वाद प्रस्तुत करने की दी गई है ना कि धारा 52 में, जबकि परिवाद धारा 26(2) जिसकी सजा धारा 52 में दी गई है, पेश किया गया है। धारा 51 सबस्टैण्डर्ड अमानक से सम्बन्धित है तथा धारा 52 मिथ्याछाप वाले खाद्य के लिये शास्ति का प्रावधान करती है। इससे स्पष्ट है कि अभिहित अधिकारी ने जो स्वीकृति दी है वो मिथ्याछाप वाले खाद्य के मामलों में नहीं दी गई है बल्कि अमानक खाद्य पदार्थ के मामले की दी है। अभिहित अधिकारी ने आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना की है। अतः विपक्षी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध समस्त कार्यवाही निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 व 2 द्वारा बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र एवं लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Rallis India Ltd. Vs Poduru vidya Bhusan & other**में दिनांक 13.04.2011 को माननीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के लागू होने के दिनांक 5.8.2011 से पूर्व ही यह आदेश पारित किये गये कि एक समान स्थितियों में पैरा मैटेरिया होने के कारण किसी एक केस में पारित आदेश सभी अधिनियमों में प्रभावी/लागु होते है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के नियम 2.4.1.1 का अनुपालन नहीं किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्वतंत्र साक्षियों को नमूने के कार्यवाही के समय नहीं बुलाया और न ही उनका किसी प्रपत्र पर हस्ताक्षर करवाया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 47(1)(ग)(**III**) एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनिमय 2011 के भाग 2.4.5(1) के अन्तर्गत प्रार्थीगण को नमूने के शेष भाग को प्रत्यायित प्रयोगशाला से जांच कराने हेतु विपक्षी संख्या 1 को प्रति उपलब्ध करायी गई, परन्तु विपक्षी संख्या 2 को धारा 46 की उप धारा 4 के अधीन नियमानुसार कोई सूचना नहीं दी। उक्त तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुये विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद का न्यायहित में खारिज किया जाना आवश्यक है। नमूना लेने की दिनांक से छः महीने के अन्तर्गत परिवाद पेश किये जाने की मियाद है। विचाराधीन प्रकरण में दिनांक 8.10.2014 को नमूना लिया गया है और 20.10.2014 को खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त हुई है तथा दिनांक 28.05.2015 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है। तत्पश्चात् खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 01.06.2015 को यह परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार परिवाद भी मियाद बाहर पेश किया गया है। खाद्य विश्लेषक से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट संख्या एल.एस./1593/एक्ट/ 2014/1152 दिनांक 21.10.2014 का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि उन्होने रैपर पर निर्माता द्वारा "**Zero Cholesterol**"अंकित करने के कारण नमूने को मिसब्राण्ड घोषित किया है, परन्तु विश्लेषण रिपोर्ट में नमूने का विश्लेषण करने में उन्होने "**Cholesterol**" का टेस्ट किया जान अपनी विश्लेषण रिपोर्ट में दर्शित नहीं किया गया है। जिससे निर्माता द्वारा रैपर पर "**Zero Cholesterol**" खाद्य पदार्थ/नमूने में न होना सिद्ध नहीं होता है। नमूने के लेबल पर ऐसा शब्द का उपयोग नहीं किया गया है जो उत्पाद की क्वालिटी की अतिशयोक्ति है। खाद्य विश्लेषक की विश्लेषण रिपोर्ट में "**Cholesterol**" का टेस्ट नहीं करने और नमूने को बिना किसी युक्तियुक्त कारण के मिसब्राण्ड घोषित करने के कारण विश्लेषण रिपोर्ट को अमान्य मानते हुये परिवाद खारिज फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.09.06 13:02:24 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्तागण अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। जिससे स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (चम्बल फ्रेश) का नमूना लिये जाने की दिनांक 8.10.2014 के छः माह से अधिक अवधि गुजर जाने के पश्चात् दिनांक 28.05.2015 को अभियोजन स्वीकृति ली गई है।खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट के अनुसार नमूने के लेबल पर **Word"Zero Cholesterol"**अंकित होने के कारण मिसब्राण्ड घोषित किया गया है किन्तु जांच रिपोर्ट में **"Cholesterol"** की जांचकरने सम्बन्धित कोई रिपोर्ट अंकित नहीं है। अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दिनांक 28.05.2015 को जारी की गई धारा 51 में परिवाद प्रस्तुत पेश करने की अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है परन्तु तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा धारा 52 के अन्तर्गत परिवाद पेश किया गया है। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सैम्पल लिये जाने के छः महीने बाद अभियोजन स्वीकृति जारी करवाई गई है एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा त्रूटिपूर्ण अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है तथा नमूने के लेबल पर अंकित**Word"Zero Cholesterol"**के सम्बन्ध में **"Cholesterol"** की जांच भी नहीं कराई गई है। निर्माता कम्पनी मैसर्स बुंगे इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, एनएच–12, पी.ओ. रामगंज बालाजी जिला बूंदी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (चम्बल फ्रेश) के नमूने में **"Zero Cholesterol"**होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। यद्यपि खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (चम्बल फ्रेश)के नमूने के लेबल पर **Word"Zero Cholesterol"**अंकित किया गया है, यदि उक्त उत्पाद में **Cholesterol**नहीं है तो **Word"Zero Cholesterol"**अंकित किये जानेकाकोई औचित्य नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में इसके समकक्ष अन्य उत्पादों के प्रति भ्रामक स्थिति उत्पन्न होना प्रतीत होता है।खाद्य पदार्थ के लेबल पर सिर्फ उन्हीं**Ingredients**का उल्लेख किया जाना चाहिये जो कि उस खाद्य पदार्थ में वास्तविक रूप से मौजूद है। इस प्रकार निर्माता कम्पनी द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (चम्बल फ्रेश) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सेक्शन **3(1)(zf)(c)(i)**के अन्तर्गत मिसब्राण्ड पाया गया है, जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निर्माता कम्पनी अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 3 व 4 द्वारा मिसब्राण्ड **(Misbrand)** स्तर के खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (चम्बल फ्रेश) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप निर्माता कम्पनी अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 3 व 4 श्री अविनाश हेगडे नोमिनी मैसर्सः– बुंगे इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड एनएच–12, पी.ओ. रामगंज बालाजी, जिला बूंदी पर पर 3,00,000/–रूपये (अक्षरे तीन लाख रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है।निर्माता कम्पनी अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 3 व 4 उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 16.07.2024 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)** के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 16.07.2024को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.09.06 13:02:24 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 19 / 2015 FSSA

क्रमांक / FSSA/ 2024 / दिनांकः—.07.2024

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सैम्पल लिये जाने के छः माह बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा त्रूटिपूर्ण अभियोजन स्वीकृति जारी किये जाने के कारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा एवं सम्बन्धित खाद्य सुरक्षा अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का श्रम करें।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री रवि गुप्ता पुत्र श्री रामुवतार गुप्ता निवासी सुरेश नगर, बस स्टैण्ड के सामने दौसा
   विक्रेता मैसर्सः—रवि प्रोविजन स्टोर, गांधी तिराहा, रोडवेज बस स्टैण्ड दौसा।
4. श्री सुरेश चन्द गुप्ता पुत्र श्री माधोलाल गुप्ता निवासी ए—49, अग्रसेन नगर दौसा
   विक्रेता मैसर्सः—रमेश चन्द, सुरेश चन्द एण्ड कम्पनी, नई मण्डी रोड दौसा।
5. श्री अविनाश हेगडे नोमिनी मैसर्सः— बुंगे इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड एनएच—12, पी.ओ. रामगंज बालाजी, जिला बूंदी।
6. मैसर्स बुंगे इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, एनएच—12, पी.ओ. रामगंज बालाजी जिला बूंदी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.09.06 13:02:24 IST
Reason: SelfAttested